:: न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) ::

पीठासीन न्यायाधीश : **मुकेश कुमार सोनी**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक विविध जमानत आवेदन सं. 147/2026

CIS No. 147/2026

प्रमिला पत्नी सुमित कुमार चौधरी, उम्र 37 वर्ष, निवासी एफएफ-02, काडियान कॉम्पलेक्स, विलेज इशरवाल, जिला भिवानी (हरियाणा)

.....प्रार्थी/अभियुक्ता

बनाम

राजस्थान राज्य .....अप्रार्थी/अभियोगी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 223/2026, पुलिस थाना अकलेरा
अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित:-

01. श्री भोजराज पारेता, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्ता की ओर से।
02. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
03. श्री दुर्गाशंकर गोयल, विद्वान अधिवक्ता, परिवादी।

:: आदेश :: दिनांक:-27.05.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अनुसंधान पत्रावली पेश की।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.04.2026 को परिवादी त्रिलोकचन्द द्वारा न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा के समक्ष एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि मुल्जिम चन्दन जैन व उसके पिता इन्दरमल जैन द्वारा उसके साथ छल करने की नीयत से षडयंत्रपूर्वक रोधा इन्डस्ट्रीज के डायरेक्टर सुमित कुमार चौधरी व प्रमिला पत्नी सुमित कुमार चौधरी से मिलीभगत कर जीन्स मक्का को बदनियतीपूर्वक उसके साथ धोखाधड़ी कर बेईमानीपूर्वक षडयंत्र रचकर हड़प करने की नीयत से योजना बनाकर उसकी फर्म मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी अकलेरा से भिन्न-भिन्न तारीखों मे रोधा इन्डस्ट्रीज के लिये बदनियती से उधार मक्का खरीदकर उसके साथ धोखाधडी करने की नियत से ट्रांसपोर्ट के द्वारा राधो इन्डस्ट्रीज के गोदाम भिजवायी। बिल नं. 138 दिनांक 27.11.2025 को 705 कट्टे वजनी 425.00 क्विंटल किमत 9,18,000/- रूपये बिल्टी नं. 60 ट्रक नं. आर जे 52 जी बी 2117, बिल नं0 139 दिनांक 28.11.2025 को 690 कट्टे वजनी 422.00 क्विंटल कीमत 9,11,520 /- रूपये बिल्टी नं. 1558 ट्रक नं. आर जे 19 जी एफ 5125. बिल नं. 141 दिनांक 29.11. 2025 को 605 कट्टे 354.35 क्विंटल कीमत 7.65.750 /- रूपये बिल्टी नं. 1093 ट्रक नं. आर जे 14 जी एच 4517, बिल नं.

144 दिनांक 02.12.2025 को 515 कट्टे वजनी 307.55 क्विंटल राशि 6,64,615/- रूपये, बिल्टी नं. 1094 ट्रक नं० आर जे 04 जीडी बिल नं. 145 दिनांक 03.12.2025 को 710 कट्टे वजनी 420.45 क्विंटल किमत 9,08,592/- रूपये, बिल्टी नं. 1069 ट्रक नं. आरजे 47 जीबी 6830 कुल 3225 कट्टे वजनी 1929.35 क्विंटल कुल किमत 41,68.477/- रूपये की मक्का उसके द्वारा अकलेरा से ग्राम हिसार मे रोधा इन्डस्ट्रीज के गोदाम पहुंचायी, जिसका भुगतान वर्धमान ब्रोकर अकेलरा के प्रोपराईटर चन्दन जैन व उसके पिता इन्दरमल जैन दोनो द्वारा रोधा इन्डस्ट्रीज के डायरेक्टर सुमित कुमार चौधरी व प्रमिला चौधरी से कराना था परन्तु उसके द्वारा भेजी गयी मक्का के बिलों की सम्पूर्ण राशि 41,68.477/- रूपये अदा नहीं किये तथा उसकी अमानत मक्का को मुलजिमान 1 लगायत 4 द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी कर छल, कपट, बेईमानीपूर्वक हड़प कर लिया तथा उसके द्वारा भेजी गयी की बिल कीमत की मांग की तो मुल्जिमान ने देने से मना कर दिया, इत्यादि। उक्त परिवाद पर धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस थाना अकलेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 223/2026 अन्तर्गत अपराध धारा 318(4), 316(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान सहअभियुक्त सुमित कुमार को उक्त अपराध में गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्ता की ओर से यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्ता निर्दोष है। उसका आरोपित अपराध व मक्का की खरीद-फरोख्त से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्ता के खाते में कोई राशि का भुगतान नहीं हुआ है। उनका तर्क है कि मामला व्यवसायिक लेनदेन का है और सिविल प्रकृति का सम्व्यवहार है जिसे आपराधिक प्रकरण का रूप दिया गया है। उक्त सम्व्यवहार में आपराधिक मनःस्थिति के कोई तत्व नहीं हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 318(4) व 316(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध एक साथ कारित किया जाना सम्भव नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी के इस्तगासा पर धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत आदेश पारित करने से पूर्व प्रारम्भिक जांच नहीं की गई। प्रार्थी/अभियुक्ता महिला है। उससे कोई अनुसंधान अपेक्षित नहीं है। वह जमानत आदेश में पारित सभी शर्तों का पालन करने एवं अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये-

(1) Rana Ram vs State of Rajasthan, S.B. Criminal Misc (Pet.) NO. 4893/2024, Order Dated 06.08.2024

(2) A.M. Mohan vs State, Criminal Appeal arrising out of SLP (Cr.) No. 9598/2022

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया और निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्ता से बरामदगी एवं अभिरक्षा में अनुसंधान किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता परिवादी का निवेदन है कि परिवादी एक वृद्ध व्यक्ति है जिसके साथ प्रार्थी/अभियुक्ता सहित अन्य अभियुक्तगण ने छल का अपराध कारित कर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। अभियुक्तगण का आशय प्रारम्भ से दुर्भावनापूर्ण था और उन्होंने अन्य प्रदेश के निवासी होने का फायदा उठाकर छलपूर्वक परिवादी से मक्का मंगवा ली तथा उसे खुर्द-बुर्द कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्ता सहित अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पर राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है। उनके विरूद्ध अनेक थानों में इसी प्रकृति के अभियोग दर्ज हैं जिससे जाहिर होता है कि अभियुक्तगण योजनाबद्ध ढंग से निर्दोष व्यापारियों के साथ अपराध कारित कर रहे हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्ता का पूर्व का कोई आपराधिक रेकॉर्ड निम्न है-

क्र.सं.	मु.नं.	थाना	धारा	विवरण
01	235/26	अकलेरा	318(4), 61(2) बीएनएस	गिरफ्तारी शेष
02	236/26	अकलेरा	318(4), 316(2), 61(2) बीएनएस	गिरफ्तारी शेष

6. प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्ता व सहअभियुक्तगण सुमित, इन्दरमल व चन्दन जैन के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र रचकर परिवादी से विभिन्न अवसरों पर भारी मात्रा में मक्का खरीदकर प्राप्त कर लेने के आरोप हैं। उक्त खरीद-फरोख्त संबंधी बिलों की नकलें पत्रावली में संलग्न हैं। अनुसंधान पत्रावली से प्रकट हुआ है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्ता के पति सहअभियुक्त सुमित कुमार को आरोपित अपराध में गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान में उससे कोई बरामदगी नहीं हो सकी है। प्रार्थी/अभियुक्ता की ओर से मामला सिविल प्रकृति का होने एवं धारा 318(4) व 316(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध एक ही सम्व्यहवहार में घटित न होने एवं अभियोग दर्ज करने से पूर्व प्रारम्भिक जांच न किये जाने के तर्क दिए गए हैं। इस संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत Rana Ram vs State of Rajasthan, S.B. Criminal Misc (Pet.) NO. 4893/2024, Order Dated 06.08.2024 तथा A.M. Mohan vs State, Criminal Appeal arrising out of SLP (Cr.) No. 9598/2022 पेश किए गए हैं। यह न्यायालय उपर्युक्त विधिक स्थिति से पूर्णतः सहमत है किन्तु उपर्युक्त निर्णयों में धारा 482 दप्रसं में दी गई अन्तर्निहित शक्तियों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया गया है। हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/अभियुक्ता के अग्रिम जमानत आवेदन के संबंध में है और

प्रकरण में अनुसंधान लम्बित है। इस स्तर पर मामले का सूक्ष्म विश्लेषण कर कोई निष्कर्ष दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार इस प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त सुमित कुमार से कोई बरामदगी नहीं होना प्रकट होता है। प्रार्थी/अभियुक्ता उक्त सहअभियुक्त सुमित कुमार की पत्नी है और पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के अनुसार वे दोनों रोधा इण्डस्ट्रीज के निदेशक हैं। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्ता को अनुसंधान के लिए तलाश किया जा रहा है तथा उससे अभिरक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता है। अतः इस स्तर पर प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्ता का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्ता **प्रमिला** पत्नी सुमित कुमार चौधरी, उम्र 37 वर्ष, निवासी एफएफ-02, काडियान कॉम्पलेक्स, विलेज इशरवाल, जिला भिवानी (हरियाणा) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **223/2026**, पुलिस थाना **अकलेरा** में प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

8. आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(अब्दुल वाजिद चिश्ती)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.30 08:42:07 IST